कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

क्रमांकः– 2646 दिनांकः– 26.09.20

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला सीकर।

विषयः– जांच रिपोर्ट सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 09200678684142 द्वारा परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र प्रभू दयाल निवासी एस–1, झारखण्ड अर्पाटमेन्ट,झारखण्ड मोड जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपूरा वार्ड न.14 जयपुर हैरिटेज जयपुर के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सम्पर्क पोटर्ल पर परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र प्रभू दयाल निवासी एस–1, झारखण्ड अर्पाटमेन्ट , झारखण्ड मोड जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपूरा वार्ड न 14 जयपुर हैरिटेज जयपुर का परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 02.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक प्रेम की सज्जा व महिला को निर्वस्त्र नहलाया के संबंध में सूचना चाही हैं। प्राप्त परिवाद की जांच थानाधिकारी पुलिस नेछवा द्वारा करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई।

मुताबिक रिपोर्ट उपरोक्त घटना के संबध में दिनांक 01.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आदेशितशुदा एक परिवाद द्वारा श्री सवाई सिंह पुत्र स्व. श्री मुकन्दराम जाति सांसी निवासी मकान नं. डी–1–ए आदर्श बस्ती रीकों एरिया, झुन्झुनु का टाईपशुदा प्राप्त इस आश्य का प्राप्त हुआ की सीकर जिले के सोला गॉव में सांसी समाज की महिला को निर्वस्त्र करके उसकी लज्जा भंग करने वालों के विरुध्द्व कार्यवाही करने के लिए निम्नानुसार प्रार्थना हैः – 1. यह है कि श्रीमती रीना पत्नी श्री विनोद जाति सांसी निवासी गाडोदा थाना नेछवा जिला सीकर के साथ सांसी समाज के पंच–पटेलों एवं अनेक लोगों ने अमानवीय कार्य करके उसे सबके सामने निर्वस्त्र (नंगा) करके नहाने का कार्य किया गया है। यह कार्य दिन में किया गया है। बताया जा रहा है इस दौरान गॉव के कुछ लोग भी तमाशा देखने के लिए आये थे। करीब तीन सौ से चार सौ लोग माजूद थे। यह घटना दिनांक 21 अगस्त 2020 की है। 2. यह कि इस औरत के साथ श्री सुनिल पुत्र श्री सुरेश कुमार जाति सांसी निवासी गाडौदा थाना नेछवा जिला सीकर के अवैध संबंध बताये जा रहे है। आपस में रिश्ते में यह औरत व यह आरोपी लडका चाची–भतीजा लगते बताये जा रहे है। इस बात को लेकर समाज के निचे लिखे पंच पटेलो एवं तीन सौ, चार सौ के करीब महिला पुरुषों ने इस महिला को दिनांक 21.08.2020 को नंगा करके नहलाया व उस पर अवैध संबंध बनाने पर जुर्माना लगाकर राशि भी वसूल की गई है। यह खांप पंचायत का फैसला है। ऐसे लोगों के विरुध्द्व

कठोर कार्याही होनी चाहिए। 3. यह है कि इन पंच पटेलों ने आरोपित महिला श्रीमती रीना से रुपये 11000 हजार और आरोपी युवक श्री सुनील से 31000 हजार रुपये एवं श्रीमती रीना से पुनः दुबारा ग्यारह हजार रुपये यानी कुल 51000 रुपये से अधिक राशि जुर्माने के रुप में वसूल कर के आपस में बांटकर हडप लिये है। यह राशि भी इन लोगों से लेकर वापिस पीडित महिला व पुरुष को वापस दिलवाई जाये। बडी मेहरबानी होगी। इसकी जांच जिला मुख्यालय पर उप–पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाई जाए। 4. यह है कि सांसी समाज के यह पंच पटेल सामाजिक रुप से कहीं पर भी आपसी विवाद होने पर वहॉ पहुंच जाते है और गरीब तथा अनपढ लोगो ंको बहला–फूसलाकर एवं डरा–धमका कर कि हम आपको समाज से बाहर निकाल देगें। ऐसा डर दिखा कर दोनो ंपक्षों से मोटी रकम न्याय के नाम पर हडप लेते हैं। अपने आपको यह समाज में कोर्ट के माननीय जज साहिब (मजिस्ट्रेट) की तरह पेश होते हैं। 5. यह है कि ऐसे लोगों के विरुध्द इस संगठन द्वारा पहले भी महिला आयोग राजस्थान की अध्यक्ष महोदया को जयपुर में लिखित में शिकायत दी गई थी। आयोग द्वारा बहुत से पंच पटेलो ंको जयपुर आयोग कार्यालय मे ंबुलाकर फटकार लगाकर भविश्य में ऐसे कार्य नहीं करने के लिए पाबन्द भी किया गया था। 6. यह है कि इस लडकी को नहाने के वक्त सोला गॉव में 300–400 महिला पुरुष इकठ्टे हुये थे। इन सब लोगों ने कोरोना बीमारी के दौरान सरकार के नियमों की धजिया भी उडाई हैँ। इन्होंने नातो एक दुसरे से दूरी बनाये रखी है और ना ही मुंह पर मास्क लगाये हुये थे। ऐसा आयोजन करने वालों एवं पंचपटेलों के विरुध्द कोरोना के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। 7. यह है कि अगर इस औरत व लडके के अवैध संबंध है ंऔर दोनों ने गलत काम करके गलती करना मंजूर कर लिया है तो इनके विरुध्द बलात्कार का मामला भी दर्ज किया जाकर दण्डित करवाने का कष्ट करें। यह कि आवेदन पत्र पेंश कर निवेदन है कि इन पंच–पटेलों के विरुध्द मामला दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करके समाज को सुधारने में मदद करने का कष्ट करें। इनमें एक दो व्यक्ति राजकीय कर्मचारी भी है। सांसी समाज के पंच पटेलों के नामः– 1. श्री श्रवण कुमार पुत्र स्व. मालाराम सांसी गॉव खुडी, थाना सालासर, मों. नं.9649852032 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व. रामगोपाल सांसी च. श्रे.कर्मचारी नेहरु युवा केन्द्र झुंझुंनू मकान हवाई पट्टी के पास झुंझुंनू थाना–झुंझुंनू कोतवाली, मों. नं.–9414229728 3. श्री सायरमल पुत्र स्व. कोटु राम सांसी निवासी छापर सांसी बस्ती थाना छापर जिला–चुरु। मों.नं. 9784158721 4. श्री बनवारीलाल पुत्र स्व. शैतानाराम सांसी निवासी गऊशाला के पास नवलगढ, थाना–नवलगढ जिला झुंझुंनूं। मों.नं. 7357455332 5. श्री नेमारामपुत्र स्व. सोहना राम सांसी निवासी लाडनूं, सांसी बस्ती थाना–लांडनू, जिला (नागौर)। मो.नं. 9828458650 6. श्री रणजीत पुत्र स्व. कुरडा राम सांसी दादीया, थाना–दादीया, जिला सीकर। मों.नं.9828772615 7. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. कुरडाराम सांसी, निवासी जेरठी थाना दादीया जिला सीकर। मों.नं. 8. श्री मालाराम पुत्र स्व. मांगीलाल सांसी, निवासी सुनारी (लाडनूं) थाना लाडनूं, जिला

नागौर। मों.नं. 9. श्री राजू पुत्र स्व. ईसरराम सांसी, निवासी बेसवा थाना फतेहपुर सदर, जिला सीकर। मों.नं. 8696125667 कृपया इन लोगों के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। आदि रिपोर्ट पर अभियोग सं. 167/2020 जुर्म धारा 143, 354, 354ख, 354ग, 384, 327, 506, 509 भा.द.स. व धारा 6 महिलाओ का अशिष्ट रुपण (प्रोहिविरान) अधि. एवं धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत पंजिब्द्ध किया जाकर अनुसंधान श्री रामावतार उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना नेछवा द्वारा प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान पुलिस थाना नेछवा पर घटना के अनुसंधान के संबंध में सुपुरविजन हेतु मन वृताधिकारी व श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी एसीएसी/एसटी सैल सीकर उपस्थित थाना थे। थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान हेतु मन वृताधिकारी व प्रभारी एससी/एसटी सैल सीकर के साथ प्रकरण हाजा की पिडीता रीना निवासी गाडौदा के मस्कन पहुंच कर रीना के धारा 161 जाफौ में लेखब्द्ध किये जाकर बयानो कि विडीयों रिकॉर्डिंग करवाई गई। तथा गवाह श्रीमति रामेश्वरी देवी व रूपाराम से दरियाफ्त की जाकर पृथक से बयान धारा 161 जाफौ में लेखब्द्ध कर शामील पत्रावली किये गये। तथा प्रकरण में पिडीता रीना देवी के धारा 164 जाफौ के बयान करवाये जाकर बयानों की प्रति प्राप्त की गई व प्रकरण हाजा के परिवादी श्री सवाई सिंह व उसके साथ आये अन्य गवाहान से अनुसंधान कर बयान लिये गये। प्रकरण हाजा के घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब किया गया। तथा आस पडौस के स्वतन्त्र गवाहान से अनुसंधान किया जाकर बयान धारा 161 जाफौ में लेखब्द्ध किये गये। व घटना स्थल के आस पडौस के लोगो से घटना के संबंध में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त की गई। व नामजद आरोपीगण 1.श्रवण कुमार पुत्र स्व. मालाराम सांसी गॉव खुडी, थाना सालासर, 2. सुरेश कुमार पुत्र स्व. रामगोपाल सांसी च. श्रे. कर्मचारी नेहरु युवा केन्द्र झुंझुंनू मकान हवाई पट्टी के पास झुंझुंनू थाना–झुंझुंनू कोतवाली, 3. श्री सायरमल पुत्र स्व. कोटु राम सांसी निवासी छापर सांसी बस्ती थाना छापर जिला–चुरु 4. श्री बनवारीलाल पुत्र स्व. शैतानाराम सांसी निवासी गऊशाला के पास नवलगढ, थाना–नवलगढ जिला झुंझुंनू 5. श्री नेमाराम पुत्र स्व. सोहना राम सांसी निवासी लाडनूं, सांसी बस्ती थाना–लांडनू, जिला (नागौर) 6. श्री रणजीत पुत्र स्व. कुरडा राम सांसी दादीया, थाना–दादीया, जिला सीकर 7. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. कुरडाराम सांसी, निवासी जेरठी थाना दादीया जिला सीकर 8. श्री मालाराम पुत्र स्व. मांगीलाल सांसी, निवासी सुनारी (लाडनूं) थाना लाडनूं, जिला नागौर 9. श्री राजू पुत्र स्व. ईसरराम सांसी, निवासी बेसवा थाना फतेहपुर सदर, जिला सीकर को तलब किया जाकर दरियाफ्त की जाकर पृथक से विस्तृत पुछताछ नोट मुर्तिब किये गये। अब तक के सम्पूर्ण अनुसंधान एवं पत्रावली पर आये साक्ष्यों से पाया गया कि गांव गाडोदा मे सांसी समाज की एक महिला से परिवार में ही जेठुता से अवैध सम्बन्ध होने की बात परिवार में जानकारी होने पर समाज के पंच पटैल/समाज के मौजिज व्यक्तियों को बुलाकर उसमे सांसी समाज के द्वारा अपनी पुर्व से चलती आ रही परम्परा

अनुसार मीटिंग बुलाकर दिनांक 21.08.2020 को गांव सोला में मिटिग कर दोनो पक्षो में राजीनामा करवाया गया। व दोनों पक्षों को आर्थिक रूप से दण्डीत किया गया। परन्तु प्रकरण कि पिडीता को निवस्त्र कर नहलाना तथा विडियो बनाना व नग्न अवस्था में फोटो खिंचना अनुसंधान से सामने नहीं आया है। प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से आरोपीगण 1.श्रवण कुमार पुत्र स्व. मालाराम सांसी गॉव खुडी, थाना सालासर, 2. सुरेश कुमार पुत्र स्व. रामगोपाल सांसी च. श्रे.कर्मचारी नेहरु युवा केन्द्र झुंझुनू मकान हवाई पट्टी के पास झुंझुनू थाना–झुंझुनू कोतवाली, 3. श्री सायरमल पुत्र स्व. कोटु राम सांसी निवासी छापर सांसी बस्ती थाना छापर जिला–चुरु 4. श्री बनवारीलाल पुत्र स्व. शैतानाराम सांसी निवासी गऊशाला के पास नवलगढ, थाना–नवलगढ जिला झुंझुनूं 5. श्री नेमाराम पुत्र स्व. सोहना राम सांसी निवासी लाडनूं, सांसी बस्ती थाना–लांडनू, जिला (नागौर) 6. श्री रणजीत पुत्र स्व. कुरडा राम सांसी दादीया, थाना–दादीया, जिला सीकर 7. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. कुरडाराम सांसी, निवासी जेरठी थाना दादीया जिला सीकर 8. श्री मालाराम पुत्र स्व. मांगीलाल सांसी, निवासी सुनारी (लाडनूं) थाना लाडनूं, जिला नागौर 9. श्री राजू पुत्र स्व. ईसरराम सांसी, निवासी बेसवा थाना फतेहपुर सदर, जिला सीकर विरूध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 143,384 भादस व धारा 3 महामारी अधिनियम का साबित पाया जाने पर आरोपीगणों को माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए आरोपीगणेां द्वारा अनुसंधान में सहयोग करने पर धारा 41ए जाफौ के तहत नोटीस दिया गया। तथा प्रकरण के संपूर्ण अनुसंधान से उपरोक्त सभी आरोपीगण के विरूद्व अपराध धारा 143,384 भादस व धारा 3 महामारी अधिनियम का अपराध साबित पाया जाने पर प्रकरण मे अभियोजन संविक्षा रिपोर्ट तैयार करवाकर उपरोक्त सभी आरोपीगण के विरूद्व चार्जशीट न0 124 दिनांक 18.09.2020 को किता की जा चुकी है जो शीघ्र पेश न्यायालय की जावेगी।

जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

(श्रवण कुमार झोरड़)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत लक्ष्मणगढ